

कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला - मोहला मानपुर अं.चौकी (छ.ग.)
Email - collector-mmc@cg.gov.in

Phone no.07747-299136

// आदेश //

क्रमांक/22/एकलव्य/आजाक/2022-23

मोहला मानपुर अं.चौकी दिनांक - 30/11/2022

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव, छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति इन्द्रावती भवन नया रायपुर के पत्र क्र. /EMRS/ 316/2019-20/11819 नवा रायपुर दिनांक 17/03/2020 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति का गठन किया जाना है।

उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशानुसार जिला स्तर पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मोहला/मानपुर, जिला -मोहला मानपुर अं.चौकी (छ.ग.) के संचालन/नियंत्रण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. कलेक्टर, जिला मोहला मानपुर अं.चौकी | - | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव | - | सदस्य |
| 3. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, राजनांदगांव | - | सदस्य |
| 4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, मोहला मानपुर अं.चौकी | - | सदस्य |
| 5. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव | - | सदस्य |
| 6. उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग, राजनांदगांव | - | सदस्य |
| 7. 02 शिक्षाविद् (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित) | - | सदस्य |
| 8. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मोहला मानपुर अं.चौकी | - | सदस्य |
| 9. प्राचार्य, एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय, मोहला/मानपुर | - | सदस्य/सचिव |

उपरोक्त गठित समिति राज्य स्तरीय समिति की ईकाई के रूप में कार्य करेगी। जिला स्तरीय समिति के निम्न कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगे।

1. जिले में एक से अधिक एकलव्य विद्यालय संचालित है, तो इनके संस्था प्राचार्य एक-एक वर्ष के लिए सदस्य सचिव होंगे।
2. शैक्षणिक प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे के विकास, सह-पाठ्यचर्चा गतिविधियों, गड़बड़ी आदि सहित सभी पहलुओं में कामकाज का पर्यवेक्षण करना।
3. अपने बेहतर काम और विकास के लिए स्थानीय सहायता और सहयोग सुनिश्चित करने में स्कूल की सहायता करना।
4. बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में जानने के लिए उनके व्यवसायिक और व्यावसायिक विकास के विभिन्न तरीकों/गतिविधियों के आयोजन में सहायता करना।
5. स्कूल की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और हर तरह से जनता के समर्थ को जुटाना।
6. अनुभव और सुविधाओं को साझा करने के माध्यम से स्कूलों को सामान्य रूप से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केन्द्र बिन्दु बनाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करना।
7. विद्यालय में विभिन्न अधोसंरचना विकास गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करना।
8. शैक्षणिक व अन्य पहलुओं में आवश्यक सुधार पर राज्य स्तरीय एकलव्य आदर्श आवासीय समिति को सुझाव देना।
9. राज्य एकलव्य आवासीय समिति द्वारा सौंपी जाने वाली अन्य जिम्मेदारी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


30.11.22
कलेक्टर/अध्यक्ष,

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी (छ.ग.)

प्रतिलिपि

1. आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, नवा रायुपर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
3. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
5. उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
6. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मोहला मानुपर अं.चौकी की ओर सूचनार्थ।
7. प्राचार्य, एकलव्य आदिवासी आवासीय विद्यालय, मोहला/मानुपर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर/अध्यक्ष,

जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला मोहला मानुपर अं.चौकी(छ.ग.)